

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 72/2018

उनवानी :-रोशनलाल बनाम नरोत्तमलाल व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम	
16.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 72/2018 उनवानी रोशनलाल बनाम नरोत्तमलाल व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फँसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	